* ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/भू०–अर्जन–02–01/2026 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–2 अन्तर्गत Intake well के Approach Channel के निर्माण हेतु 1.0275 एकड़ भूमि अर्जन के क्रम में हितबद्ध रैयतों को भुगतान हेतु ₹756.24527 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार पांच सौ सताईस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹756.24527 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार पांच सौ सताईस रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक–1421 दिनांक–25.05.2026 द्वारा भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–2 अन्तर्गत Intake well के Approach Channel के निर्माण हेतु 1.0275 एकड़ भूमि अर्जन के क्रम में हितबद्ध रैयतों को भुगतान हेतु ₹756.24527 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार पांच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र की स्वीकृति देते हुए आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में निम्नवत् स्वीकृति दी जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति हेतु स्वीकृत कुल राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–2 अन्तर्गत Intake well के Approach Channel के निर्माण हेतु 1.0275 एकड़ भूमि अर्जन के क्रम में हितबद्ध रैयतों को भुगतान हेतु ₹756.24527 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार पांच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।	₹756.24527	₹756.24527

2. उक्त स्वीकृत राशि **₹756.24527 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार पांच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र** के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में

वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, भागलपुर के PL खाता सं०–BGPPLA013, HOA-00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा उक्त राशि अविलम्ब समाहर्त्ता, भागलपुर को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा समाहर्त्ता, भागलपुर से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि का उपयोग उसी योजना पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

6. स्वीकृत कुल राशि ₹756.24527 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार पांच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र का व्यय माँग सं०–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0113–भू–अर्जन, विपत्र कोड सं०–48–2217031910113 विषय शीर्ष–31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों का निर्माण मद से किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/भू०–अर्जन–02–01/2026 के पृष्ठ सं०–11/टि० पर दिनांक–18.06.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–11/टि० पर दिनांक–18.06.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2ब० / भू०–अर्जन–02–01 / 2026 76 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 19/6/26

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल / प्रबंध निदेशक, बुडको / जिला पदाधिकारी, भागलपुर / नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय लेखापाल / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई०–मेल करने हेतु / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग / संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।